संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर (छ.ग.)
पुजारी पार्क, पुलिस लाईन कैम्पस, टिकरापारा रायपुर (छ.ग.)

::विज्ञापन::

क्रमांक–रा.न्या.वि.प्र./भर्ती एवं चयन/एम–4712/2023 रायपुर, दिनांक– 06.10.2023

छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3–68/दो–गृह/FSL/2019 अटल नगर, दिनांक 25.09.2023 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर के स्वीकृत सीधी भर्ती के निम्नांकित रिक्त पदों को नियमानुसार भरने की अनुमति प्रदान की गई।

अतः शासन के निर्देशानुसार संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2007 व संशोधित अधिसूचना दिनांक 11.11.2022 एवं छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम 2015 के प्रावधान अनुसार इस विभाग के निम्नांकित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर के वेबसाइट www.fsl.cg.nic.in पर आमंत्रित किये जाते है–

(1) रिक्त पदों की संख्या एवं वेतनमान (7वां वेतनमान अनुसार) :–

1. वाहन चालक – 04 पद (बेसिक 19500/–वेतन मैट्रिक्स लेवल–4)
2. प्रयोगशाला परिचारक – 08 पद (बेसिक 18000/–वेतन मैट्रिक्स लेवल–3)
3. भृत्य – 02 पद (बेसिक 18000/–वेतन मैट्रिक्स लेवल–3)
4. विसरा कटर – 03 पद (बेसिक 15600/–वेतन मैट्रिक्स लेवल–1)

(2) रिक्त पदों का विवरण :–

1. वाहन चालक (श्रेणी–तृतीय)

क्र	वर्ग	कुल रिक्त पद	पदों पर आरक्षण			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपूसै
1	अनारक्षित	2	2	–	–	–
2	अनुसूचित जाति	0	–	–	–	–
3	अनुसूचित जनजाति	1	1	–	–	–
4	अपिव (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	1	1	–	–	–
	योग–	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**

2. प्रयोगशाला परिचारक (श्रेणी–चतुर्थ)

क्र	वर्ग	कुल रिक्त पद	पदों पर आरक्षण			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपूसै
1	अनारक्षित	5	4	1	–	–
2	अनुसूचित जाति	–	–	–	–	–
3	अनुसूचित जनजाति	2	2	–	–	–
4	अपिव (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	1	1	–	–	–
	योग–	**8**	**7**	**1**	**0**	**0**

3. भृत्य			(श्रेणी–चतुर्थ)			
क्र	वर्ग	कुल रिक्त पद	पदों पर आरक्षण			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपूसै
1	अनारक्षित	1	1	–	–	–
2	अनुसूचित जाति	0	–	–	–	–
3	अनुसूचित जनजाति	1	1	–	–	–
4	अपिव (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	0	–	–	–	–
	योग–	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**
4. विसरा कटर			**(श्रेणी–चतुर्थ)**			
क्र	वर्ग	कुल रिक्त पद	पदों पर आरक्षण			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपूसै
1	अनारक्षित	1	1	–	–	–
2	अनुसूचित जाति	0	–	–	–	–
3	अनुसूचित जनजाति	1	1	–	–	–
4	अपिव (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	1	1	–	–	–
	योग–	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**
	कुल योग–	**17**	**16**	**1**	**0**	**0**

(3) अनिवार्य अर्हताएँ–

(i) **वाहन चालक हेतु अनिवार्य अर्हताएं :–** किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा हल्के/भारी वाहन चालन का लायसेंस होना चाहिये। (वाहन चालन की कौशल परीक्षा ली जायेगी)

(ii) **प्रयोगशाला परिचारक हेतु अनिवार्य अर्हताएं:–** 10+2 शिक्षा प्रणाली में हाईस्कूल/कक्षा दसवीं (विज्ञान सहित) उत्तीर्ण होना चाहिए।

(iii) **भृत्य हेतु अनिवार्य अर्हताएं :–** किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

(iv) **विसरा कटर हेतु अनिवार्य अर्हताए :–** कक्षा 8वीं (मिडिल स्कूल) की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

अधिकतम उच्चतर शैक्षणिक अर्हता :– उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

(4) आयु सीमाः–

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के मूल/स्थानीय निवासियों को कैलेण्डर वर्ष 2022 में निर्धारित अधिकतम आयु–सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी अर्थात 40 वर्ष आयु–सीमा की छूट होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को **शासन के प्रचलित निर्देशों** के अनुसार आयु–सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूट को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उच्चतर आयु सीमा के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देश भी लागू होगें।

(5) नियम एवं शर्तेः—

1. उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर द्वारा आयोजित की जावेगी। परीक्षा उपरांत मेरिट सूची जारी की जावेगी।
2. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संचालक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर (छ.ग.) के पास सुरक्षित रहेगा।
3. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूलप्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित (Carry Forward) नहीं किए जाएंगे, वरन् उस प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है।
5. दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के पद के विरूद्ध सामान्य, अनूसचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे होरिजेण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा।
6. विज्ञाप्ति पद के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए दृष्टिबाधित दिव्यांग कृपया आवेदन न करें।
7. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
8. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
9. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति छ.ग.शासन वित्त निर्देश 33/2023 दि. 12.09.2023 के निर्देशानुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
10. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी। जिन् अभ्यर्थियों की उम्र अधिक होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी।
11. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें।
12. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को चयन की स्थिति में **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र** मूलरूप से प्रस्तुत करना होगा।

(6) महत्वपूर्ण टीप :—

1. विज्ञापित पदों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
2. भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
3. लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर/केन्द्र तक जाना होगा, इसके लिए यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा।

4. उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियॉ एवं चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल. पी.(सी) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी।

5. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा पंजीकृत डाक एवं स्पीडपोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन मान्य नहीं किये जावेगें।

6. उपरोक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु तिथि एवं लिखित/कौशल परीक्षा की तिथि के संबंध में पृथक से सूचना/नोटिफिकेशन विभाग की वेबसाइट (**https://www.fsl.cg.nic.in**)में अपलोड की जावेगी।

नोट–

1. विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि, विधि एवं एडमिट कार्ड जारी करने के संबंध में तिथि तथा पदो हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा संबंधित तिथि, पाठयक्रम एवं निर्देश की जानकारी छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर के वेबसाइट www.fsl.cg.nic.in पर पृथक से उपलब्ध कराई जावेगी। उम्मीदवारो को सलाह दी जाती है कि नियमित तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर की वेबसाईट (www.fsl.cg.nic.in) का अवलोकन करते रहे।

हेतु–संचालक
राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला
रायपुर (छ.ग.)